

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राजस्थान, जयपुर।
(Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme, Jaipur-302005)
(Phone Number-0141-2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

क्रमांक:-नर्सिंग/ जोन जोधपुर/एफ-9(से0नि0)27305/2025/87

दिनांक:- 24/02/2025

--: आदेश :-

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम व पदनाम (सुश्री/श्रीमती/श्री)	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	मंजू ओझा, म0स्वा0कार्य0	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोजत जिला पाली	01.09.1965	31-08-2025
2	मधुबाला माथुर, म0स्वा0कार्य0	उप स्वास्थ्य केन्द्र खेमे का कुआ खण्ड लूणी, मु0 सालावास (जोधपुर ग्रामीण)	11.09.1965	30-09-2025
3	मधुबाला वैष्णव म0स्वा0कार्य0	उप स्वास्थ्य केन्द्र तनावडा खण्ड लूणी, मु0 सालावास (जोधपुर ग्रामीण)	02.10.1965	31-10-2025
4	गुगेश्वरी पटेल म0स्वा0कार्य0	प्रा0स्वा0केन्द्र बीनावास खण्ड विलाडा (जोधपुर ग्रामीण)	03.07.1965	31-07-2025
5	सूरज बलाई म0स्वा0कार्य0	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांचौर	25.05.1965	31-05-2025
6	लक्ष्मी बस्सी म0स्वा0कार्य0	क.रा.वी.औषधालय नं. 2 जोधपुर	28.05.1965	31-05-2025

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 01से 06 तक अंकित कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

E- File/Order 2024-2025

RajKaj Ref No.: 13531446

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राजस्थान, जयपुर।

(Swasthya Bhawan Tilak Marg C-Scheme, Jaipur-302005)
(Phone Number—0141—2222683 E-mail- add4ng@gmail.com)

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:— 24/02/2025

क्रमांक:—नर्सिंग/ जोन जोधपुर/एफ-9(से0नि0)27305/2025/ 87

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जोधपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर(ग्रामीण)/सांचौर/पाली/।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोजत/सालावास/बिलाडा/सांचौर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कर्मचारी राज्य वीमा औषधालय नं.02 जोधपुर।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर कक्ष मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :21-02-2025 06:25:16